उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-97/2020/3219/71-1-2020-जी-22/2010टी0सी0
लखनऊ : दिनॉक: 21 अगस्त, 2020

कार्यालय आदेश

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में स्थित शताब्दी फेज-2 चिकित्सालय में मेडिकल गैस पाइप लाइन का कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। उक्त कार्य की अनुमोदित लागत रू0 360.52 लाख थी। नामित कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य को कराये जाने हेतु निविदा के माध्यम से मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 को चयनित किया गया तथा अनुबन्ध संख्या-3/79, दिनॉक 14.09.2015 द्वारा कार्य आवंटित किया गया। अनुबन्धित फर्म मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा दिनॉक 22.10.2015 को कार्य प्रारम्भ किया गया तथा दिनॉक 24.10.2016 को कार्य पूर्ण कर दिनॉक 08.01.2018 को ग्राहक विभाग को हस्तगत कर दिया गया।

2- वर्तमान में व्याप्त कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत चिकित्सालयों की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के क्रम में के0जी0एम0यू0 के शताब्दी फेज-2 चिकित्सालय का निरीक्षण कराया गया तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के पत्र संख्या-175/कैम्प/प्र0नि0/गा0फा0/ रा0नि0नि0/2020, दिनॉक 22.06.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत कार्य का थर्ड पार्टी आडिट नहीं कराया गया है। उक्त कार्य की थर्ड पार्टी आडिट कराये बिना ही कार्य को ग्राहक संस्था को हस्तगत कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के पत्र दिनांक 22.06.2020 का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत कार्य की थर्ड पार्टी आडिट कराने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा को शासन के पत्र दिनांक 23.06.2020 द्वारा निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2020-21/134, दिनाॅक 30.06.2020 एवं कुल सचिव, के0जी0एम0यू0 के पत्र संख्या-3591/योजना अनु0/2020, दिनाॅक 29.06.2020 एवं पत्र संख्या-3627/योजना अनु0/2020, दिनाॅक 30.06.2020 के माध्यम से के0जी0एम0यू0 के शताब्दी फेज-2 चिकित्सालय में मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा कराये गये मेडिकल गैस पाइप लाइन कार्य की थर्ड पार्टी आडिट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी लखनऊ द्वारा कराते हुए थर्ड पार्टी आडिट आख्या एवं संस्तुति दिनॉक 27.06.2020 उपलब्ध करायी गई, जिसमें प्रश्नगत कार्य में अनेक कमियॉ तथा गंभीर अनियमिततायें पायी गई।

3- उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 को बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में आक्सीजन गैस की आपूर्ति हेतु प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0, मेडिकल कालेज, गोरखपुर के कार्यालय आदेश संख्या-2137/एस0पी0एस0/13/एन0आर0एच0एम0/ 100बेड वार्ड/एम0जी0 पी0एल0, दिनॉक 03.09.2013 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया था, जिसके अन्तर्गत मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 तथा मै0 आईनाक्स एयर प्रोडक्ट प्रा0 लि0 एवं प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध दिनॉक 09.01.2014 को निष्पादित किया गया, जिसमें मै0 पुष्पा सेल्स की भूमिका डीलर की थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में आपूर्तित आक्सीजन गैस के सापेक्ष लम्बित देयको के भुगतान में प्रक्रियागत विलम्ब होने के दृष्टिगत बिना किसी पूर्व सूचना के आक्सीजन गैस की आपूर्ति दिनांक 10.08.2017 को बाधित हो गयी, जिसके कारण मेडिकल कालेज, गोरखपुर से सम्बद्ध नेहरू चिकित्सालय जहॉ गंभीर रूप से जापानी इन्सेफलाइटिस बीमारी से पीड़ित मरीजों का उपचार किया जा रहा था, में अव्यवस्था एवं अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हुआ तथा गंभीर रूप से भर्ती मरीजों के जीवन पर संकट आया। मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा संवेदनशील प्रकृति के कार्यो में भी व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना फर्म के गैर जिम्मेदाराना कृत्य को प्रदर्शित करता है। चिकित्सालय में स्थित आई0सी0यू0, एन0आई0सी0यू0 व ए0ई0एस0/जे0ई0 वार्ड जैसे अत्यन्त संवेदनशील चिकित्सा इकाईयों में जीवन रक्षक गैस की आपूर्ति बाधित करना आपराधिक तथा अमानवीय कृत्य है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- फर्म द्वारा की गई उक्त अनियमितता हेतु इनके विरूद्ध थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 428/2017 धारा-409/308/120बी0/420 भा0द0वि0 व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा-15 इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट एवं 66 आई0टी0 एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें विवेचना के उपरान्त मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 के निदेशक पर जुर्म धारा 120बी/406 भादवि (Criminal Breach of Trust) का अपराध प्रमाणित पाया गया है और उक्त धाराओं मे फर्म के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या- ए-28/2017, दिनाॅक 26.10.20207 को मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया है। उक्त के दृष्टिगत फर्म को काली सूची में डालने की संस्तुति महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या-एम0ई0-1/2020/1405, दिनॉक 30.04.2020 तथा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के पत्र संख्या-444/6/पु0-14-20-70(168)/2020, दिनॉक 29.04.2020 द्वारा की गई है।

5- मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में आक्सीजन गैस की आपूर्ति बाधित करने तथा उसके क्रम में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा की गई संस्तुति एवं के0जी0एम0यू0, लखनऊ के शताब्दी फेज-2 चिकित्सालय में कराये गये मेडिकल गैस पाइप लाइन के कार्यो में बरती गई गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता के दृष्टिगत फर्म को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। इसी क्रम में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में आक्सीजन गैस आपूर्ति बाधित करने के संबंध मंे शासन के पत्र दिनांक 30.04.2020 द्वारा मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 को प्रथम कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 को निम्नानुसार आरोपित किया गयाः-

आरोपः-

"आक्सीजन गैस आपूर्तिकर्ता फर्म मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में आपूर्तित आक्सीजन गैस के सापेक्ष लम्बित देयको का भुगतान किये जाने हेतु दिनांक 30.07.2017 को लीगल नोटिस प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर को प्रेषित किया गया था जिसमें लम्बित देयकों का भुगतान 15 दिन के अन्दर अर्थात् दिनॉक 14.08.20217 के पूर्व किये जाने का उल्लेख था, जबकि मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0लि0 द्वारा आक्सीजन गैस की आपूर्ति दिनांक 10.08.2017 को ही बाधित कर दी गयी।

यद्यपि उक्त लीगल नोटिस में लम्बित देयकों के भुगतान की बाध्यकारी समय सीमा की अवधि दिनांक 14.08.2017 तक उल्लिखित थी, तथापि उक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 को दिनांक 11.08.2017 को रू0 51,78,443/- की धनराशि का भुगतान किया गया। इस प्रकार मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0लि0 द्वारा अपनी ही लीगल नोटिस का अवैधानिक ढंग से अतिक्रमण कर बिना किसी पूर्व सूचना के आक्सीजन गैस की आपूर्ति बाधित की गयी, जिससे चिकित्सालय में भर्ती ए0ई0एस0/जे0ई0 जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के जीवन पर संकट उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आपकी फर्म मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर से सम्बद्ध नेहरू चिकित्सालय जैसे संवेदनशील अस्पताल जहाॅ सदैव बड़ी संख्या में गंभीर मरीज भर्ती रहते है, में दिनॉक 10/11 अगस्त, 2017 को जानबूझकर, बिना किसी पूर्व सूचना के जीवन रक्षक आक्सीजन गैस की आपूर्ति बाधित किया जाना अमानवीय है तथा यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसे विवेचना के उपरान्त प्रमाणित भी पाया गया है।"

फर्म का उत्तरः-

6- उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 30.04.2020 के क्रम में मै0 पुष्पा सेल्स के पत्र दिनांक 13.05.2020 द्वारा अपना उत्तर उपलब्ध कराया गया, जिसमें फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में आक्सीजन गैस की आपूर्ति हेतु मै0 आईनाक्स एयर प्रोडक्ट प्रा0 लि0 (उत्पादक), बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर (ग्राहक) तथा मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 (डीलर) के मध्य दिनांक 09.01.2014 को त्रिपक्षीय समझौता (एग्रीमेन्ट) सम्पन्न हुआ था, जिसके प्रस्तर-5(।) के अनुसार डीलर को आपूर्तित गैस के सापेक्ष बिल/इन्वाइस प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर भुगतान सुनिश्चित करना होगा। उक्त समझौते के प्रस्तर-5(।।) के अनुसार मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0

http://srisan.gov.up.nic.in

यदि निर्धारित समयान्तर्गत आईनाक्स को भुगतान करने में असफल रहता है तो आईनाक्स इस संबंध में कार्यवाही करते हुए उत्पाद (आक्सीजन गैस) की आपूर्ति बाधित कर सकता है।

मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा अपने उत्तर दिनांक 13.05.2020 में यह भी अवगत कराया गया है कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा आक्सीजन गैस की आपूर्ति की मांग प्रेषित किये जाने के 48 घण्टे के अन्दर गैस की आपूर्ति फर्म द्वारा कर दी जाती थी। मेडिकल कालेज, गोरखपुर में दिनांक 04.08.2017 से 09.08.2017 के मध्य आक्सीजन गैस की आपूर्ति हेतु डिमाण्ड प्रेषित नहीं की गई, जिसके कारण उक्त अवधि में फर्म द्वारा आक्सीजन की आपूर्ति नहीं की जा सकी। कालेज प्रशासन द्वारा दिनांक 10.08.2017 को मौखिक अनुरोध किये जाने पर फर्म द्वारा दिनांक 12.08.2017 को गैस की आपूर्ति की गई। अतः मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा जानबूझकर गैस की आपूर्ति बाधित नहीं की गई।

विवेचनाः-

7- बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में आक्सीजन आपूर्ति बाधित किये जाने के संबंध में मै0 पुष्पा सेल्स को निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 30.04.2020 के क्रम में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तर/लिखित अभिकथन दिनांक 13.05.2020 एवं उपलब्ध अभिलेखों के विवेचन के उपरान्त निम्नवत् तथ्य प्रकाश में आयेः-

यद्यपि मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में आपूर्तित आक्सीजन गैस के सापेक्ष सृजित देयकों का भुगतान प्रधानाचार्य के स्तर पर लम्बित था, जिसका भुगतान किये जाने हेतु मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर को लीगल नोटिस दिनांक 30.07.2017 प्रेषित किया गया, जिसमें लम्बित देयकों का भुगतान 15 जून के अन्दर अर्थात् दिनांक 14.08.2017 के पूर्व किये जाने का उल्लेख था। बावजूद इसके मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा अपनी ही लीगल नोटिस का अवैधानिक ढंग से अतिक्रमण कर बिना किसी पूर्व सूचना के आक्सीजन गैस की आपूर्ति दिनांक 10.08.2017 को ही बाधित कर दी गई। लम्बित देयकों के भुगतान हेतु मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा दी गई नोटिस की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही दिनांक 11.08.2017 को रू0 51,78,443/- का भुगतान मै0 पुष्पा सेल्स को कर दिया गया था।

एग्रीमेन्ट दिनॉक 09.01.2014 के General terms and conditions के अन्तर्गत प्रस्तर-10 में निम्नवत् प्राविधान हैः-

> " In case of default by any of the parties, the non defaulting party shall, without prejudice to its other rights and remedies, be entitled to forbear from doing any acts are fulfulling any obligation that are to be done are fulfilled by such non defaulting party untill the defaulting party makes good such breach, porvided that the non defaulting party shall have given notice in writing to the defaulting party, spacifying the nature of the breach and reasonable time (not less than 21 days) shall have elapsed after receipt of that notice without the defaulting party remedying such breach."

उक्त से स्पष्ट है कि ग्राहक संस्था (मेडिकल कालेज, गोरखपुर) द्वारा भुगतान लम्बित रखे जाने की स्थिति में डीलर मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा एग्रीमेन्ट की शर्तो के अनुसार बिना पर्याप्त समय दिये (21 दिन) आक्सीजन गैस की आपूर्ति बाधित की गई।

मै0 पुष्पा सेल्स का यह कथन कि दिनांक 04.08.2017 से दिनांक 09.08.2017 के मध्य कालेज प्रशासन द्वारा आक्सीजन गैस की आपूर्ति हेतु डिमाण्ड प्रेषित की गई, जिसके कारण फर्म द्वारा आक्सीजन की आपूर्ति नहीं की गई, स्वीकार्य नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि त्रिपक्षीय समझौते दिनांक 09.01.2014 के प्रस्तर-3(1) में निम्नवत् प्राविधान हैः-

http://shasanadesh.up.nic.in

"The dealer on behalf of Buyer, shall place an order ("Order Acceptance") on INOXAP for the purchase of the Product on a quarterly basis in advance for the following three months."

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि अनुबन्ध की शर्तो में यह निहित है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर (ग्राहक) की ओर से मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 (डीलर) द्वारा आगामी 03 माह के लिए आक्सीजन गैस (उत्पाद) की खरीद के लिए मै0 आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्रा0 लि0 को क्रयादेश निर्गत करेगा, किन्तु मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तर/लिखित अभिकथन में यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा एग्रीमेन्ट की उक्त शर्त का अनुपालन न कर टुकड़ों में यथा 01 सप्ताह के लिए आर्डर प्लेस किये जा रहे थे, जबकि डीलर को एडवांस में आर्डर प्लेस करने चाहिए थे। इससे मेडिकल कालेज, गोरखपुर में आक्सीजन गैस की आपूर्ति बाधित होने की संभावना बनी रहती थी। अतः मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 पर कारण बताओ नोटिस दिनॉक 30.04.2020 में लगाया गया आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया।

8- के0जी0एम0यू0 लखनऊ के शताब्दी फेज-2 चिकित्सालय में कराये गये मेडिकल गैस पाइप लाइन के कार्यो में बरती गई गंभीर अनियमितता व लापरवाही के संबंध में मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 के निदेशक, को द्वितीय कारण बताओ नोटिस दिनॉक 02.07.2020 तामील कराया गया, जिसके क्रम में निदेशक द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर उपलब्ध कराने हेतु कतिपय अभिलेख उपलब्ध कराने तथा 10 दिन का अतिरिक्त समय दिये जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त न्याय हित में अन्तिम अवसर देते हुए शासन के पत्र दिनांक 08.07.2020 द्वारा वांछित अभिलेख निदेशक, पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 को प्रेषित करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.07.2020 का उत्तर उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 13.07.2020 तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया। निदेशक, मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 के पत्र दिनांक 17.07.2020 द्वारा शासन के कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.07.2020 का उत्तर/लिखित अभिमत उपलब्ध कराया गया। थर्ड पार्टी आडिट आख्या में कतिपय अन्य कमियाँ पाये जाने के उपरान्त पुनः शासन के पत्र दिनांक 04.08.2020 द्वारा निदेशक, मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 को तृतीय कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया, जिसके क्रम में फर्म मै0 पुष्पा सेल्स के पत्र दिनांक 12.08.2020 द्वारा अपना उत्तर/लिखित अभिमत उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 को कुल 03 कारण बताओ नोटिस निर्गत किये गये।

उक्त के अतिरिक्त के0जी0एम0यू0 लखनऊ के शताब्दी फेज-2 चिकित्सालय में कराये गये मेडिकल गैस पाइप लाइन के कार्यो मे नामित कार्यदायी संस्था की ओर से लापरवाही बरतने वाले सम्बन्धित अधिकारियो के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही करने हेतु शासन के पत्र संख्या-2775/71-1-2020-जी0-22/2018 टी0सी0 दिनांक 02.07.2020 तथा पत्र संख्या-3113ए/71-1-2020-जी0-22/2018 टी0सी0 दिनांक 14.08.2020 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में महाप्रबन्धक (परिवाद) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के पत्र दिनांक 28.07.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित अभियन्ताओं के विरूद्ध अनुशासनिक जॉच संस्थित कर अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक (विद्युत) को जॉच अधिकारी नामित कर दिया गया है।

9- के0जी0एम0यू0 लखनऊ के शताब्दी फेज-2 चिकित्सालय में कराये गये मेडिकल गैस पाइप लाइन के कार्य की करायी गई थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट में पायी गई कमियों एवं अनियमितताओं के दृष्टिगत फर्म मै0 पुष्पा सेल्स को नोटिस दिनांक 02.07.2020 द्वारा 08 बिन्दुओं/कमियों पर तथा नोटिस दिनांक 04.08.2020 द्वारा 06 बिन्दुओं पर आरोपित करते हुए कारण बताओ नोटिस निर्गत किये गये, जो निम्नवत् हैः-

<u>कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.07.2020 में उल्लिखित बिन्दु/कमियॉ-</u>

1- Technical Sanction was approved for Rs. 360.50 lacs initially but under which circumstances different orders were placed by the working organization (UPRNN) is not clear from the documents. There are a lot of variation in the quality and quantity of work from technical sanction and order placed by the department (UPRNN).

http://shasanadesh.up.nic.in

2- The working organization (UPRNN) provided the detailed technical Sanction with Make and technical specifications of the equipments to be installed for the ordered work. In the detailed technical sanction and order placed, make of some items like area line pressure alarm was not mentioned, due to which working firm (M/s Pushpa Sales Pvt Ltd) had freedom to put up any brand product. (Total sanctioned cost on area line pressure alarm with master alarm is 1160400/).

3- Difference between detailed technical specification and order placed is observed. For example in case of air receiver tank, the capacity of the tank is mentioned in order as 2000 litres while in detailed technical specification it is mentioned as 3000 litres. During inspection it is found as 2000 Litres.

4- At the time of inspection plant was working properly except alarm system and auto drain valve system which were not functional and are very important for smooth operation of the system and safety of the equipments.

5- Gas pressure alarm system in Medical Gas pipeline is very critical part of the system and is used to provide information of availability of gas with required pressure through alarm and digital display in all wards of the hospital situated anywhere in hospital even far away from plant room of the system. Unfortunately during physical inspection it was observed that all the gas alarm systems were found not in operation while plant was running at site even in Haematology ward, all representatives were failed to show where the alarm system is installed. Line pressure alarm system has been installed. Line pressure alarm system has been installed of AKTIV Brand while approved make is not mentioned in the order given by the department. No functional of gas alarm system is very dangerous in case of any emergency as the availability of gases will be unknown to the staff at the time of critical use.

6- Colour coding of the copper pipes carrying oxygen, vacuum and compressed air is also an important factor to be considered for complete system. It should comply with IS 2379:1990 as per which following colours must be painted for different pipes-

Name of Carrying Gas	Ground Colour Band	First Colour Band	Second colour Band
Air	Sky Blue	White	Black
Oxygen	Canary Yellow	White	--
Vacuum	Sky Blue	Black	--

During inspection it was found that first colour band and second colour band (in case of air), as per above were not painted on pipelines as per the open/visible parts of the pipelines, which can cause confusions among staff members.

7- At the time of inspection auto drain valve of air receiver tank was found non functional due to which moisture in the form of water will collect in receiver tank and will damage the air dryer. The result will be none functioning of dryer which will result in moisture in pipelines and the complete system will collapse.

8- In case of vacuum receiver tank, in detailed spectifications the capacity of tank/reservoir is mentioned as 3000 Litres while in order 02 nos of vessel with capacity of 2000 litres each, working pressure 7kg/cm^2 testing pressure 11kg/cm^2 and designed pressure 8.2 kg/cm^2 were

http://shasanadesh.up.nic.in

ordered while during inspection it was observed that 02 Vacuum vessel of 2000 litres capacity each are installed. Testing pressure as mentioned on tank is 10 kg/cm^2 which is less than the testing pressure ordered. It is also considerable that in hydraulic test certificate provided by the maker of vessel (B.Tech Engineers) it is declared that the hydraulic test has been done at 10 kg/cm^2 for 30 minutes on 20.06.2016 which is also less than the ordered testing pressure value of 11 kg/cm$^{2.}$.

<u>कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.08.2020 में उल्लिखित बिन्दु/कमियॉ</u>-

1. थर्ड पार्टी आडिट के बिन्दु संख्या-10 जिसमें हिमेटोलॉजी वार्ड में गैस प्रेशर एलार्म सिस्टम लगा हुआ नहीं मिला है जबकि क्रयादेश में गैस प्रेशर सिस्टम सभी वार्डों में लगाया जाना प्रस्तावित था। उक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा क्रयादेश में निहित कार्यों का अनुपालन नहीं किया गया है।

2. आडिट के बिन्दु संख्या-12 में वाल्व बाक्स एक्टिव टेक्नोलॉजिस लगा हुआ पाया गया है। उक्त से सम्बन्धित प्रस्तुत सर्टीफिकेट से स्पष्ट नहीं था कि एक्टिव टेक्नोलॉजिस आई.एस.ओ./सी.ई. सर्टीफाईड था अथवा नहीं? उपलब्ध सर्टीफिकेट पर दिये गये मोबाइल नम्बर से सम्पर्क करने पर सम्बन्धित द्वारा एक्टिव इंजीनियर्स नाम की फर्म का आई.एस.ओ./सी.ई. प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिससे यह पता चला कि उक्त फर्म को मार्च, 2019 में आई.एस.ओ./सी.ई सर्टीफिकेट प्रदान किया गया है। जबकि प्रश्नगत मेडिकल गैस पाईप लाईन का कार्य वर्ष 2016 में ही आप द्वारा सम्पन्न कराया गया है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा बिना आई.एस.ओ./सी.ई सर्टिफिकेट प्राप्त फर्म से अधोमानक कार्य कराया गया, जो नियमों के विपरीत है।

3. आडिट के बिन्दु संख्या-14 सर्जिकल अंकोलॉजी वार्ड में कुछ बेड हेड पैनल मानक(1200mm) से कम ऊँचाई पर स्थापित किये गये हैं, जो मानक के विपरीत है।

4- आडिट के बिन्दु संख्या-15 में आपके द्वारा कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त पूरे सिस्टम का प्रेशर सर्टिफिकेट लीकेज टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि आप द्वारा तत्समय बिना प्रेशर टेस्ट कराये ही कार्य को सम्बन्धित विभाग को सौंप दिया गया।

5- आडिट के बिन्दु संख्या-18 में क्रयादेश में 03 एयर कम्प्रेशर जो कि मिनिमम 47 सी.एफ.एम. 7.5 kg/cm^2 प्रेशर के दिये गये हैं जबकि मौके पर 36 सी.एफ.एम. के ही कम्प्रेशर पाये गये हैं। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों पर भी सी.एफ.एम. 41.981 एवं 41.3915 दिखाया गया है, जो कि क्रयादेश में अंकित मात्रा से कम है।

6- आडिट के बिन्दु संख्या-19 में आपके द्वारा 2000 लीटर कैपासिटी का एयर रिसीवर टैंक स्थापित किया गया था। क्रयादेश में इसका वर्किंग प्रेशर 10 kg/cm^2 , टेस्टिंग प्रेशर 16 kg/cm^2, और डिजाइंड प्रेशर 11.2 kg/cm^2 तक के लिए दिया गया था। आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र पर वर्किंग प्रेशर 9 kg/cm^2, डिजाइंड प्रेशर 10 kg/cm^2 तथा टेस्टिंग प्रेशर 15 kg/cm^2 है, जो कि अण्डर कैपासिटी है।

इस प्रकार मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 को के0जी0एम0यू0, लखनऊ के शताब्दी फेज-2 चिकित्सालय में कराये गये मेडिकल गैस पाइप लाइन के कार्य में पायी गई कुल 14 कमियों/बिन्दुओं पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया, जिनमें कतिपय बिन्दुओं की पुनरावृत्ति भी है।

10- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के शताब्दी फेज-2 चिकित्सालय में कराये गये गैस पाइप लाइन के कार्य में बरती गई लापरवाही एवं अनियमितता तथा उसके क्रम में शासन द्वारा निर्गत कारण बताओं नोटिस दिनांक 02.07.2020 तथा 04.08.2020 के क्रम में मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 के पत्र दिनांक 17.07.2020 एवं 12.08.2020 के माध्यम से लिखित अभिकथन/उत्तर उपलब्ध कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

http://shasanadesh.up.nic.in

कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.07.2020 के क्रम में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तर/लिखित अभिकथन दिनांक 17.07.2020 के मुख्य तथ्यः-

(1) It is pertinent to mention that the Applicant is not privy to Technical Sanctions between the Sate of U.P. and UPRNN. The Applicant had undertaken every work strictly as per the work orders issued to it by UPRNN.

(2) The Applicant neither had any means nor was required to go behind the work orders issued by UPRNN to enquire about technical sanctions issued by UPRNN. Moreover, technical compliance report submitted by the Applicant mentions the makes of all the equipment including that of make of area line pressure alarms. The Applicant had installed the area line pressure alarms of Aktiv brand. AKTIV is a most renowned brand of India and wodely used in many reputed hospitals across India. AKTIV brand of area line pressure alarms were as per Medical Directive (93/43/EEC) and conforms to the international standard like HTM/ISO/NFPA.

(3) The work order/bill of quantity dated 06-04-2016, placed by the UPRNN provides that the capacity of the Air Tank to be supplied by the Applicant must have quantity of 2000 ltr. capacity. Thus, in compliance of the same, the Applicant supplied the Air and Vacuum Reservoir Tank and evidently, it is an admitted fact;

(4) At the time of handing over of the project to UPRNN and KGMU, proper inspection was conducted by UPRNN and KGMU, and after proper testing and maintaining inventory, to the utmost satisfaction of the officials of UPRNN and KGMU, the project was handed over on 16.08.2016. The alarm system and auto drain valve system, is related to proper maintenance of the aforesaid system which is undisputedly not carried out by the Applicant after handing over of the project to UPRNN and KGMU.

(5) At the time of handing over of the project to UPRNN, proper inspection was conducted by UPRNN and KGMU, and after proper testing and maintaining inventory, to the utmost satisfaction of the officials of UPRNN and KGMU, the project was handed over on 16.08.2016. Thus, upon expiry of warranty period on 15.08.2017 i.e. one year after hand over on 16.08.2016, no liability could be fastened with respect to an issue which relates to proper maintenance.

(6) It appears that the third party Auditor is either not competent to conduct Audit with respect to Medical Equipments or the audit report has been prepared in haste without application of mind. The Applicant wants to inform you that as per industrial standards, it is generally the first and second colour of band, is done at the areas above fall ceiling to avoid any confusions. In the visible part of pipeline drops, which are vertical and are always attached to the gas specific outlets. In each outlet there is a complete name and notification mentioned of the specific gas serivce it is providing. The identification of gas pipeline is through the outlets only as user staff connects the outlets with the probes of ventilator, probes of flow meter and probes of flow meter and probes of ventilator, probes of flow meter and probes of vacuum jars which are not inter-changeable. By non interchangeability features of probes it creates no confusion to the operating staff; it is the worldwide followed standards for HTM/ISO/NFPA.

(7) Evidently, the purported third party Audit was conducted in June, 2020 i.e. almost 4 years after handing over of the project by the Applicant on 16.08.2016. The aforesaid issue of non-functioning of any equipment, is related to proper maintenance of the aforesaid system which is undisputedly not carried out by the Applicant after handing over of the project to UPRNN and KGMU.

http://srisanadesh.up.nic.in

(8) Vaccum system is a negative pressure system which works at below atmospheric level. Hydrostatic testing is generally done to detect the leaking areas in any type of vessel and for Vacuum Vessel Testing, we generally tests at 10 Kg/cm^2 pressure which is sufficient to check the welding strength of vessel. Vacuum receiver tank is not pressurized tank and therefore, technically 10 kg pressure testing is of not much relevance. It has more meaningful for the air tank as compressed air system is a pressurized tank so testing at such a high pressure has more relevance in compressed air tank.

कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.08.2020 के क्रम में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तर/लिखित अभिकथन दिनांक 12.08.2020 के मुख्य तथ्यः-

(1) Pertinently, merely quantity of the gas pressure systems have been provided in the work orders which had to be installed by the Applicant in the wards upon the instructions of the tender awarding agency i.e. Rajkiya Nirman Nigam. Moreover, the aforesaid ex-parte third party Audit was not conducted in presence of any representative of the Applicant.

(2) At the outset, serious doubts are raised on the veracity of the third party Audit report on account of the fact that on the basis of a phone call, the third party Auditor has come to a conclusion that the pressure guage installed by the Applicant were not ISO certified at the time of installation in 2016. Be that as it may, it is submitted that the Applicant had installed pressure gauge of Atkiv Technologies only which has all requisite ISO and CE certificates at the relevant times. The aforesaid fact was also verified by UPRNN at the time of the installation of the same by the Applicant.

(3) It is submitted that installation of Bed Head Panel was not part of the scope of work carried out by the Applicant in Shatabdi Hospital, Phase-II, KGMU, Lucknow. Thus, any irregularity with respect to the same cannot be attricuted to the Applicant at any cost.

(4) That mere unavailability of the pressure testing certificate to the third party Auditor does not only imply that the testing was not done by the Applicants. This evidently shows your goodself biased against the Applicant. Pertinently, at the time of handing, tasting of each and every installation including the pressure testing system was done by the Applicant. As the matter of fact, only after proper inspection by KGMU and UPRNN, the work completion certificate was issued to the Applicant.

(5) The Applicant had installed air compressors as per the capacity mentioned in the work order. Our work order reference no. 34/1575 dated 06.04.2016 mentioned 3 nos. compressors of 7.5Kw Motor rating of Atlas Copco makem which confirm the following details about compressors:

Model No. - GA7

Motor Rating - 7.5 Kw

Output flow - 46 CFM at 7.5 bar

Therefore, the output of compressor at any given point will depend on the number of patients on ventilators and number of working OTs at that time. Your goodself's sallegation of supplying below capacity compressors in respect to the work order are without technical facts. The catalogue of compressor of M/s Atlas Copco (one of the reputed manufacturers for the last more than 50 years).

(6) Pertinently, the specifications mentioned for air receiver tank in the allotted work order are matching with our supplied air receiver tank. It is a standard protocol followed by

http://shrasanadesh.up.nic.in

reputed manufacturer to stamp & levelled the plate mentioning testing parameter of the receiver tank at the time of supply of the tank. These parameters on plate were also observed by the inspection team of UPRNN & KGMU.

विवेचनाः-

11- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के शताब्दी फेज-2 चिकित्सालय में कराये गये मेडिकल गैस पाइप लाइन के कार्य में बरती गई लापरवाही एवं अनियमितता तथा उसके क्रम में शासन द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.07.2020 तथा 04.08.2020 के क्रम में मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 के पत्र दिनांक 17.07.2020 एवं 12.08.2020 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये लिखित अभिकथन तथा उपलब्ध अभिलेखों के विवेचन के उपरान्त निम्नानुसार तथ्य प्रकाश में आयेः-

(1) <u>आरोप संख्या-1 (नोटिस दिनांक 02.07.2020)-</u> निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रश्नगत परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 360.50 लाख थी, जबकि उसके सापेक्ष मौके पर कराये गये कार्यो की मात्रा एवं गुणवत्ता में भिन्नता पायी गई।

प्रश्नगत आरोप के संबंध में फर्म मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा उपलब्ध कराये गये लिखित अभिकथन के अवलोकन से पाया गया कि मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्गत कार्यादेश एवं बिल ऑफ क्वांटिटी के अनुसार कार्य किया गया है। अतः इस संबंध में फर्म मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा उपलब्ध कराया गया उत्तर/लिखित अभिकथन स्वीकार्य है। विस्तृत तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार वांछित उपकरणों की क्षमता व विशिष्टियों का उल्लेख कार्यादेश/बिल ऑफ क्वांटिटी में कार्यदायी संस्था द्वारा नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के संबंधित अधिकारियों का मुख्य उत्तदायित्व है। इस संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्था, उ0प्र0रा0नि0नि0 के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-2775/71-1-2020-जी0-22/2018 टी0सी0 दिनांक 02.07.2020 तथा पत्र संख्या-3113ए/71-1-2020-जी0-22/2018 टी0सी0 दिनांक 14.08.2020 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को निर्देशित किया गया है। अतः आरोप-1 के संबंध में फर्म द्वारा दिये गये उत्तर को सही पाते हुए उक्त आरोप को मै0 पुष्पा सेल्स पर सिद्ध नहीं पाया गया है।

(2) <u>आरोप संख्या-2 (नोटिस दिनांक 02.07.2020)-</u> मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत तकनीकी विशिष्टियों एवं मेक के अनुसार उपकरणों की स्थापना नहीं कराई गई थी।

प्रश्नगत आरोप के संबंध में फर्म मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा उपलब्ध कराये गये लिखित अभिकथन के अवलोकन से पाया गया कि मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्गत कार्यादेश एवं बिल ऑफ क्वांटिटी के अनुसार कार्य किया गया है। अतः इस संबंध में फर्म मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा उपलब्ध कराया गया उत्तर/लिखित अभिकथन स्वीकार्य है। विस्तृत तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार वांछित उपकरणों की क्षमता व विशिष्टियों का उल्लेख कार्यादेश/बिल ऑफ क्वांटिटी में कार्यदायी संस्था द्वारा नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के संबंधित अधिकारियों का मुख्य उत्तदायित्व है। इस संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्था, उ0प्र0रा0नि0नि0 के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-2775/71-1-2020-जी0-22/2018 टी0सी0 दिनांक 02.07.2020 तथा पत्र संख्या-3113ए/71-1-2020-जी0-22/2018 टी0सी0 दिनांक 14.08.2020 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को निर्देशित किया गया है। अतः आरोप-2 के संबंध में फर्म द्वारा दिये गये उत्तर को सही पाते हुए उक्त आरोप को मै0 पुष्पा सेल्स पर सिद्ध नहीं पाया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) <u>आरोप संख्या-3 (नोटिस दिनांक 02.07.2020)-</u> अनुमोदित विस्तृत तकनीकी विशिष्टियों के अन्तर्गत एयर रिसीवर टैंक की क्षमता का उल्लेख 3000 लीटर है, जबकि फर्म मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा 2000 लीटर की क्षमता का टैंक लगाया गया है।

प्रश्नगत आरोप के संबंध में फर्म मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा उपलब्ध कराये गये लिखित अभिकथन के अवलोकन से पाया गया कि मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्गत कार्यादेश एवं बिल ऑफ क्वांटिटी के अनुसार कार्य किया गया है। यद्यपि विस्तृत तकनीकी विशिष्टियों में एयर रिसीवर टैंक की क्षमता 3000 लीटर उल्लिखित है, किन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा निर्गत बिल ऑफ क्वांटिटी में 2000 लीटर क्षमता का ही उल्लेख है। तद्नुसार मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा 2000 लीटर की क्षमता का टैंक स्थापित किया गया है। अतः इस संबंध में फर्म मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा उपलब्ध कराया गया उत्तर/लिखित अभिकथन स्वीकार्य है। विस्तृत तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार वांछित उपकरणों की क्षमता व विशिष्टियों का उल्लेख कार्यादेश/बिल ऑफ क्वांटिटी में कार्यदायी संस्था द्वारा नहीं किया गया है। विस्तृत तकनीकी विशिष्टियों में उल्लिखित विवरणानुसार बिल ऑफ क्वांटिटी/कार्यादेश में विशिष्टियों का उल्लेख न किया जाना कार्यदायी संस्था की ओर से बरती गई अनियमितता है। इस संबंध में मै0 पुष्पा सेल्स, जो कि एक तकनीकी संस्था है, उनके द्वारा मौन रहकर इसे क्रियान्वित करना कार्यदायी संस्था के अधिकारियों एवं फर्म की दुरभिसंधि को दर्शाता है। इस संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्था, उ0प्र0रा0नि0नि0 के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-2775/71-1-2020-जी0-22/2018 टी0सी0 दिनांक 02.07.2020 तथा पत्र संख्या-3113ए/71-1-2020-जी0-22/2018 टी0सी0 दिनांक 14.08.2020 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को निर्देशित किया गया है। अतः आरोप-3 के संबंध में फर्म द्वारा दिये गये उत्तर को संतोषजनक न पाते हुए उक्त आरोप को मै0 पुष्पा सेल्स पर आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया है।

(4) <u>आरोप संख्या-4, 5 एवं 7 (नोटिस दिनांक 02.07.2020)</u>- आरोप संख्या-4, 5 एवं 7 की विषय-वस्तु एक ही आइटम से संबंधित होने के कारण इनकी विवेचना एक साथ की जा रही है। थर्ड पार्टी आडिट निरीक्षण के समय पाया गया कि प्लान्ट ठीक से कार्य कर रहा था, किन्तु गैस प्रेशर अलार्म सिस्टम और ऑटो ड्रेन वाल्व सिस्टम ठीक से कार्य नहीं कर रहा था, जो कि संयंत्र व उपकरणों की सुरक्षा एवं सुचारू संचालन के लिए अति आवश्यक है।

इस संबंध में फर्म द्वारा यह अवगत कराया गया है कि परियोजना के पूर्ण होने के बाद सौंपे जाने के 01 वर्ष के पश्चात् अर्थात् दिनाॅक 15.08.2017 के पश्चात् वारण्टी अवधि की समाप्ति के उपरान्त किसी भी उपकरण की क्रियाशीलता का दायित्व फर्म का नहीं रह जाता है। यह अच्छे रख-रखाव पर निर्भर करता है।

उल्लेखनीय है कि मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम मरीजों के लिए जीवन रक्षक प्रणाली है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या विचलन मरीजों के जीवन के लिए प्राणघातक साबित हो सकता है। ऐसी महत्वपूर्ण प्रणाली में ऐसे उपकरणों का उपयोग, जो वारण्टी अवधि के बाद तुरन्त खराब हो जाते है या काम करना बन्द कर देते है, स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही मेडिकल गैस पाइप लाइन जैसे संवेदनशील जीवन रक्षक प्रणाली के अन्तर्गत लगाये जाने वाले उपकरणों की न्यूनतम वारण्टी अवधि कम से कम 05 वर्ष होनी चाहिए थी, किन्तु कार्यदायी संस्था उ0प्र0रा0नि0नि0 द्वारा निर्गत कार्यादेश दिनांक 22.10.2015 में वारण्टी की अवधि मात्र 01 वर्ष ही अंकित है। यद्यपि यह कार्यदायी संस्था की भी चूक है, तथापि मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 एक तकनीकी संस्था है, अतः इस नाते इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह वस्तुस्थिति से कार्यदायी

http://shilsanadesh.up.nic.in

संस्था को तत्समय अवगत कराते व गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादित करते। इससे स्पष्ट है कि कार्यदायी संस्था के अधिकारियों एवं फर्म मै0 पुष्पा सेल्स की मिलीभगत से कार्यादेश में जानबूझ कर उपकरणों की विशिष्टियों व उनकी वारण्टी संबंधी शर्तो का अनुचित निर्धारण कर वित्तीय लाभ प्राप्त किया गया है। अतः आरोप संख्या-4, 5 एवं 7 फर्म मै0 पुष्पा सेल्स पर आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया है।

(5) आरोप संख्या-6 (नोटिस दिनांक 02.07.2020)- मेडिकल आक्सीजन गैस, वैक्यूम तथा कम्प्रेस्ड एयर की सप्लाई हेतु लगायी जाने वाली पाइपों की पहचान हेतु की गई कलर कोडिंग मानकानुसार नहीं पायी गई। अनुमोदित तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार यह IS2370:1990 मानक के अनुरूप होनी चाहिए थी।

इस संबंध में फर्म द्वारा यह अवगत कराया गया है कि थर्ड पार्टी आडिट करने वाले अभियन्ता उपर्युक्त विशिष्टिता हेतु आवश्यक तकनीकी अर्हता नहीं रखते है। मेडिकल गैस पाइप लाइनों की पहचान हेतु मार्किंग अन्तर्राष्ट्रीय मानकों यथा HTM/ISO/NFPA के अनुसार कराई गई है।

फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख/प्रमाणपत्र मेडिकल गैस पाइप लाइनों की कलर कोडिंग के संबंध में स्थापित मानक IS2370:1990 के अनुरूप नहीं है। IS2370:1990 के प्रस्तर-7.3 में पाइप लाइन के कलर बैण्ड का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार फर्म मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा कार्य नहीं कराया गया है। तकनीकी विशिष्टियों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मानक HTM/ISO/NFPA का उल्लेख कापर पाइप की फिटिंग के संबंध में है न कि उनकी कलर कोडिंग के संबंध में। अतः फर्म का स्पष्टीकरण मान्य नहीं है तथा आरोप संख्या-6 फर्म मै0 पुष्पा सेल्स पर सिद्ध पाया गया।

(6) आरोप संख्या-8 (नोटिस दिनांक 02.07.2020)- वैक्यूम रिसीवर टैंक की कैपसिटी अनुमोदित विशिष्टियों के अन्तर्गत 3000 लीटर अंकित है, जबकि फर्म द्वारा 2000 लीटर कैपसिटी की 02 नग वेसेल लगाये गये है, जिनके वर्किंग प्रेशर निरीक्षण के दौरान क्षमता से कम पाये गये है।

फर्म द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वैक्यूम रिसीवर टैंक की क्षमता बिल ऑफ क्वांटिटी/कार्यादेश में उल्लिखित 2000 लीटर के अनुरूप है। वैक्यूम सिस्टम नकारात्मक दबाव प्रणाली है, जो वायुमण्डलीय स्तर से नीचे काम करती है। हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण आमतौर पर किसी भी प्रकार के वेसेल में रिसाव का पता लगाने के लिए किया जाता है और वैक्यूम वेसेल परीक्षण के लिए आमतौर पर 10 किलो प्रति वर्ग सेमी0 दबाव पर परीक्षण करते है।

इस संबंध में उल्लेख्य है कि फर्म का यह कथन कि वैक्यूम सिस्टम एक नकारात्मक प्रणाली है, सत्य नहीं है। वास्तव में नकारात्मक एवं सकारात्मक दबाव प्रणाली के मध्य एकमात्र अन्तर दबाव की दिशा का है। सकारात्मक दबाव प्रणाली बाहरी दबाव को बढ़ाती है, जबकि नकारात्मक दबाव प्रणाली अन्दर की ओर चलती है। दोनो में समान मात्रा में दबाव होता है, जो टैंक की वेल्डिंग स्ट्रेन्थ के लिए निर्णायक कारक होता है। प्रश्नगत कार्य की तकनीकी स्पेसिफिकेशन और कार्यादेश में वैक्यूम टैंक के परीक्षण का दबाव 11 कि0ग्रा0 प्रति वर्ग सेमी0 उल्लिखित है, जबकि फर्म द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र में परीक्षण दबाव 10 कि0ग्रा0 प्रति वर्ग सेमी0 उल्लिखित है, जो कि अनुमोदित मानक से कम है। अतः आरोप संख्या-8 फर्म पर सिद्ध पाया गया है।

(7) आरोप संख्या-1 (नोटिस दिनांक 04.08.2020)- थर्ड पार्टी आडिट के बिन्दु संख्या-10 जिसमें हिमेटोलॉजी वार्ड में गैस प्रेशर एलार्म सिस्टम लगा हुआ नहीं मिला है जबकि कार्यादेश में गैस प्रेशर सिस्टम सभी वार्डों में लगाया जाना प्रस्तावित था। उक्त से स्पष्ट है कि फर्म द्वारा कार्यादेश में निहित कार्यों का अनुपालन नहीं किया गया है।

मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा अवगत कराया गया है कि फर्म को प्राप्त कार्यादेश में उल्लिखित विवरण के अनुसार समस्त वार्डो में गैस प्रेसर सिस्टम लगाया गया है। थर्ड पार्टी आडिट के दौरान फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था।

http://shasanadesh.up.nic.in

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि थर्ड पार्टी निरीक्षण के समय दिनाॅक 25.06.2020 को श्री दिनेश कुमार, इलेक्ट्रानिक असिस्टेण्ट के0जी0एम0यू0, श्री सुनील यादव, परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0, श्री प्रमोद कुमार, आर0ई0, उ0प्र0रा0नि0नि0, श्री राजाराम यादव, जे0ई0, उ0प्र0रा0नि0नि0 और मै0 पुष्पा सेल्स के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उपस्थित समस्त अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी यह बताने में असफल रहा कि हिमेटोलाजी विभाग में गैस प्रेसर एलार्म लगा है या नहीं। यह स्वतः स्पष्ट तथ्य है कि यदि किसी वार्ड में मेडिकल गैस पाइप लाइन का कार्य कराया जाता है, तो गैस प्रेसर एलार्म सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए। यदि कार्यादेश में उल्लेख नहीं है तो भी फर्म के एक तकनीकी संस्था होने के नाते इस संबंध में संशोधन करने हेतु कार्यदायी संस्था से तत्समय अनुरोध करना चाहिए था तथा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण गैस प्रेसर एलार्म को स्थापित कराया जाना चाहिए था, जो कि फर्म द्वारा नहीं किया गया। इससे फर्म तथा कार्यदायी संस्था के बीच मिलीभगत तथा दुरभिसंधि परिलक्षित होती है। अतः उक्त के दृष्टिगत आरोप संख्या-1 मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 पर आंशिक रूप से सिद्ध पाया जाता है।

(8) <u>आरोप संख्या-2 (नोटिस दिनांक 04.08.2020)-</u> वाल्व बाक्स एक्टिव टेक्नोलाजिस का लगा हुआ पाया गया। उक्त से सम्बन्धित प्रस्तुत सर्टीफिकेट से स्पष्ट नहीं था कि एक्टिव टेक्नोलाजिस आई.एस.ओ./सी.ई. सर्टिफाईड था अथवा नहीं ? उपलब्ध सर्टिफिकेट पर दिये गये मोबाइल नम्बर से सम्पर्क करने पर सम्बन्धित द्वारा एक्टिव इंजीनियर्स नाम की फर्म का आई.एस.ओ./सी.ई. प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया, जिससे यह पता चला कि उक्त फर्म को मार्च, 2019 में आई.एस.ओ./सी.ई सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। जबकि प्रश्नगत मेडिकल गैस पाईप लाईन का कार्य वर्ष 2016 में ही मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा सम्पन्न कराया गया है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा बिना आई.एस.ओ./सी.ई सर्टिफिकेट प्राप्त फर्म से अधोमानक कार्य कराया गया, जो नियमों के विपरीत है।

इस संबंध में फर्म मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा एक्टिव टेक्नोलाजिस के प्रेशर गेज लगाये गये है, जिसके पास समस्त आवश्यक आई0एस0ओ0 एवं सी0ई0 सर्टिफिकेट तत्समय उपलब्ध थे।

उल्लेखनीय है कि आडिट के दौरान वाल्व बाक्स पर एक्टिव टेक्नीलोजिस का उल्लेख था, जिस पर अंकित आई0एस0ओ0 सर्टिफिकेट पर दिये गये मोबाइल नम्बर से सम्पर्क करने पर पता चला कि वह सर्टिफिकेट एक्टिव टेक्नोलाजिस का था ही नही, वरन् वह एक्टिव इंजीनियर्स नामक फर्म को आवंटित था और वह सर्टिफिकेट मार्च/अप्रैल, 2019 में मै0 एक्टिव इंजीनियर्स द्वारा प्राप्त किया गया था। उक्त दोनों फर्मे अलग-अलग है। अतः उक्त से स्पष्ट है कि उक्त दोनों फर्मो में से किसी के भी पास वर्ष 2016 में आई0एस0ओ0/सी0ई0 सर्टिफिकेट उपलब्ध होने संबंधी अभिलेख फर्म मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जा सके है, जबकि कार्यादेश/बिल ऑफ क्वांटिटी में उक्त उपकरणों हेतु आई0एस0ओ0 13485 सर्टिफिकेट तथा सी0ई0 मार्क धारित करने वाली फर्म से ही उपकरण लिये जाने का उल्लेख है। अस्तु, आरोप संख्या-2 मै0 पुष्पा सेल्स पर सिद्ध पाया जाता है।

(9) <u>आरोप संख्या-3 (नोटिस दिनांक 04.08.2020)</u>- आडिट के बिन्दु संख्या-14 में उल्लिखित है कि सर्जिकल अंकोलॉजी वार्ड में कुछ बेड हेड पैनल निर्धारित मानक (1200mm) से कम ऊँचाई पर स्थापित किये गये हैं, जो मानक के विपरीत है।

फर्म मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया है कि यह कार्य उनके कार्यादेश/कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। अतः इस हेतु वह उत्तरदायी नहीं है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्गत कार्यादेश/बिल ऑफ क्वांटिटी में बेड हेड पैनल संबंधी कार्यो का उल्लेख नहीं है, किन्तु फर्म के एक तकनीकी संस्था होने के नाते इस

http://shasanadesh.up.nic.in

हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करना चाहिए था। अतः आरोप संख्या-3 मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 पर आंशिक रूप से सिद्ध पाया जाता है।

(10) आरोप संख्या-4 (नोटिस दिनांक 04.08.2020)- मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त पूरे सिस्टम का प्रेसर लीकेज टेस्टिंग किये जाने संबंधी सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि फर्म द्वारा तत्समय बिना प्रेशर टेस्ट कराये ही कार्य को सम्बन्धित विभाग को सौंप दिया गया।

इस संबंध में फर्म द्वारा उल्लेख किया गया है कि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सभी उपकरणों की टेस्टिंग कराई गई थी। कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम तथा के0जी0एम0यू0, लखनऊ के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें उनके द्वारा कार्य को संतोषजनक बताया गया है।

उल्लेखनीय है कि फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तर/लिखित अभिकथन के साथ कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त सम्पूर्ण मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम का लीकेज टेस्टिंग कराये जाने संबंधी कोई भी प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जा सका। यदि फर्म के दावे के अनुसार लीकेज टेस्टिंग कराई गई थी तो फर्म को इस आशय का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना चाहिए था जो कि जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः आरोप संख्या-4 मै0 पुष्पा सेल्स पर सिद्ध पाया गया।

(11) आरोप संख्या-5 (नोटिस दिनांक 04.08.2020)- कार्यादेश में 03 एयर कम्प्रेशर जो कि मिनिमम 47 सी.एफ.एम. 7.5 kg/cm^2 प्रेशर के दिये गये हैं जबकि मौके पर 36 सी.एफ.एम. के ही कम्प्रेशर पाये गये हैं। फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों पर भी सी.एफ.एम. 41.981 एवं 41.3915 दिखाया गया है, जो कि कार्यादेश में अंकित मात्रा से कम है।

इस संबंध में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा कार्यादेश दिनांक 06.04.2016 में उल्लिखित 03 नग कम्प्रेशर 7.5 kw के मोटर एटलस कोपको मेक के लगाये गये है, जिसकी आउटपुट क्षमता 46 सी0एफ0एम0 है, जो अनुमोदित सी0एफ0एम0 47 के बेहद करीब है। कराये गये समस्त कार्यो के संबंध में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा संतोषजनक कार्य का प्रमाणपत्र दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि फर्म मै0 पुष्पा सेल्स को जारी कार्यादेश के अनुसार 03 एअर कम्प्रेशर स्थापित करने थे। इस हेतु अनुमोदित तकनीकी विशिष्टियों में इन कम्प्रेशर की फ्री एअर डिलीवरी कैपिसिटी न्यूनतम 47 सी0एफ0एम0 एट 7.5 kg/cm^2 होनी चाहिए थी, जबकि निरीक्षण के दौरान कम्प्रेशर के स्पेसिफिकेशन प्लेट पर कैपिसिटी 17 एल/एस पायी गई, जो कि 36,02 सी0एफ0एम0 के बराबर है। फर्म द्वारा मूल उपकरण निर्माता फर्म की तरफ से उपलब्ध कराये गये कम्प्रेशर के सर्टिफिकेट पर फ्री एअर डिलीवरी कैपिसिटी 41.981 एवं 41.3915 अंकित पायी गई। स्पष्ट है कि उपर्युक्त दोनों विवरण कार्यादेश में उल्लिखित मात्रा से कम है, जो कि एक गंभीर अनियमितता है। इस संबंध में फर्म का स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है। अतः उक्त स्थिति में आरोप संख्या-5 मै0 पुष्पा सेल्स पर सिद्ध पाया गया है।

(12) आरोप संख्या-6 (नोटिस दिनांक 04.08.2020)- कार्यादेश में एयर रिसीवर टैंक का वर्किंग प्रेशर 10 kg/cm^2 , टेस्टिंग प्रेशर 16 kg/cm^2, और डिजाइंड प्रेशर 11.2 kg/cm^2 तक के लिए दिया गया था। फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र पर वर्किंग प्रेशर 9 kg/cm^2, डिजाइंड प्रेशर 10 kg/cm^2 तथा टेस्टिंग प्रेशर 15 kg/cm^2 है, जो कि अण्डर कैपासिटी है।

इस संबंध में फर्म मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यादेश में उल्लिखित विशिष्टियों के अनुसार प्रतिष्ठित निर्माता से आपूर्तित एयर रिसीवर टैंक की स्थापना करायी गई है तथा इसमें स्टैण्डर्ड प्रोटोकाल का अनुपालन किया गया है। मेडिकल गैस पाइप लाइन

http://sugsmadesh.up.nic.in

कार्य का कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम एवं के0जी0एम0यू0, लखनऊ के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने तथा कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पाये जाने संबंधी प्रमाणपत्र दिये जाने के उपरान्त ही कार्य को हस्तगत किया गया। अतः इस संबंध में फर्म उत्तरदायी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि फर्म मै0 पुष्पा सेल्स को कार्यदायी संस्था द्वारा जारी कार्यादेश में स्थापित किये जाने वाले एयर रिसीवर टैंक हेतु तकनीकी स्पेसिफिकेशन निम्नानुसार निर्धारित किये गये थेः-

वर्किंग प्रेशर- 10 kg/cm^2

टेस्टिंग प्रेशर- 16 kg/cm^2

डिजाइन्ड प्रेशर- 11.2 kg/cm^2

फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्टिफिकेट में एयर रिसीवर टैंक की विशिष्टतायें निम्नवत् पायी गई हैः-

वर्किंग प्रेशर- 09 kg/cm^2

टेस्टिंग प्रेशर- 15 kg/cm^2 2

डिजाइन्ड प्रेशर- 10 kg/cm^2

अतः स्पष्ट है कि फर्म द्वारा बताई गई प्रेशर क्षमता अनुमोदित विशिष्टियों के सापेक्ष कम है। फर्म द्वारा कार्यादेश में उल्लिखित मानकों/विशिष्टियों के अनुसार कार्य नहीं कराया गया है। संतोषजनक गुणवत्ता का प्रमाणपत्र दिया जाना कार्यदायी संस्था उ0प्र0रा0नि0नि0 के अधिकारियों के साथ मिलीभगत व दुरभिसंधि को दर्शाता है। जानबूझकर मानकों के अनुरूप उपकरणों की स्थापना नहीं कराई गई एवं संवेदनशील जीवन रक्षक प्रणाली की स्थापना में मानकों का घोर उल्लंघन किया गया है। उक्त स्थिति में आरोप संख्या-6 मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 पर सिद्ध पाया गया है।

12- उपर्युक्त प्रस्तर-2 से 11 में वर्णित स्थिति में आरोपित फर्म के उत्तर/लिखित अभिकथन के प्रकाश में किये गये बिन्दुवार विवेचन के परिशीलन से स्पष्ट है कि मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा के0जी0एम0यू0 लखनऊ के शताब्दी फेज-2 चिकित्सालय में कराये गये मेडिकल गैस पाइप लाइन के कार्यो में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही बरती गयी है तथा अधोमानक/निर्धारित क्षमता से कम के उपकरण लगाये गये है। इस संबंध में मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 पर लगाये गये कुल 14 आरोपों में से (नोटिस दिनांक 02.07.2020 का आरोप संख्या-6 एवं 8 तथा नोटिस दिनांक 04.08.2020 का आरोप संख्या-2, 4, 5, 6) कुल 06 पूर्णतया सिद्ध, (नोटिस दिनांक 02.07.2020 का आरोप संख्या-3, 4, 5, 7 एवं नोटिस दिनांक 04.08.2020 का आरोप संख्या-1 व 3) कुल 06 आरोप आंशिक रूप से सिद्ध तथा (नोटिस दिनांक 02.07.2020 का आरोप संख्या-1 व 2) कुल 02 आरोप सिद्ध नहीं पाये गये है। इसी प्रकार फर्म मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में अनुबन्ध की शर्तो एवं स्वयं द्वारा दी गई लीगल नोटिस का उल्लंघन कर मेडिकल आक्सीजन गैस की आपूर्ति बाधित की गई, जिसके कारण चिकित्सालय में अफरा-तफरी हुई तथा भर्ती गंभीर मरीजों के जीवन पर संकट उत्पन्न हुआ। इस संबंध में फर्म मै0 पुष्पा सेल्स पर लगाया गया आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया है।

चूँकि मेडिकल कालेज तथा चिकित्सा संस्थानों में मानव जीवन रक्षा से जुड़े हुए अत्यन्त संवेदनशील प्रकृति के चिकित्सकीय कार्य सम्पादित किये जाते है, मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम एक अनिवार्य तथा उपचार के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण जीवन रक्षक चिकित्सकीय उपकरण की श्रेणी में आता है, इसके बावजूद भी मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा न केवल बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में आक्सीजन गैस की आपूर्ति को बाधित किया गया वरन् किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के शताब्दी फेज-2 चिकित्सालय में कराये गये मेडिकल गैस पाइप लाइन के कार्यो में भी गंभीर अनियमिततायें की गई।

http://shasanadesh.up.nic.in

13- उपर्युक्तानुसार किये गये विश्लेषण से स्पष्ट है कि मै0 पुष्पा सेल्स द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के स्थानीय अधिकारियों के साथ दुरभिसंधि कर के0जी0एम0यू0, लखनऊ में मेडिकल गैस पाइप लाइन प्रणाली जैसे संवेदनशील निर्माण कार्य एवं उपकरणों की स्थापना में गंभीर अनियमितता बरतने तथा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने एवं मेडिकल आक्सीजन गैस की आपूर्ति बाधित करने का अपकृत्य किया गया। ऐसा गंभीर दुराचरण करने वाली फर्म को अग्रेतर चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े हुये संवेदनशील कार्यो में प्रतिभाग का अवसर देना कदापि जनहित में नहीं है। अतः विषयगत फर्म मैसर्स पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0, 551झ/148, रामनगर, आलमबाग, लखनऊ को दोषी पाते हुए एतद्वारा काली सूची **(Black list)** में डाले जाने के आदेश पारित किये जाते है।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या:-97/2020/3219(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह, चिकित्सा, लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, आयुष विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास विभाग, सिंचाई विभाग, सहकारिता विभाग।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. श्री मनीष भण्डारी, निदेशक, मै0 पुष्पा सेल्स प्रा0 लि0, 551झ/148, रामनगर, आलमबाग, लखनऊ।
7. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0, लखनऊ।
8. कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई इटावा/अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. निदेशक, संजय गाॅधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
10. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ/गवर्नमेन्ट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज, नोएडा/सुपर स्पेशिलियटी कैंसर संस्थान, लखनऊ/ एस0एस0पी0एच0पी0जी0टी0आई0 ग्रेटर नोएडा/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर/हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
11. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0/समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
12. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
13. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
14. निदेशक, यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (सिडको) लखनऊ।
15. निदेशक, सी0एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
16. निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
17. निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shodhganga.inflibnet.ac.in